an>

Title: Regarding salary, emoluments and other facilities to Members of Parliament.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : अध्यक्ष महोदया, अभी तक सभी लोग अपनी-अपनी कांस्टीटूएंसी के मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन मैं इस हाउस में बैठे हुए सभी सांसदों का मुद्दा उठाना चाहता हूं। सभी सांसद काफी दिनों से अपना बिल आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हर अधिवेशन खत्म हो जाता है और बिल नहीं आता।

महोदया, आप जानती हैं कि अनेक राज्यों के विधायकों को सांसद से ज्यादा सैलरी मिलती है। अगर हम महाराÂष्ट्र का उदाहरण लें, तो वहां के विधायकों को 74 हजार रुपये सैलरी मिलती है। मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी विधायकों को ज्यादा सैलरी मिलती है। दिल्ली सरकार ने तो अभी सभी विधायकों की सैलरी बढ़ायी है। ...(व्यवधान) झारखंड के विधायकों की भी सैलरी ज्यादा है। हमारी कांस्टीटूएंसी में छः से आठ विधायक आते हैं, लेकिन उनकी सैलरी भी हमसे ज्यादा है। इस संसद में सभी मिडल क्लास के सांसद हैं, यानी सब सामान्य लोग हैं। हमारी मांग है कि सरकार इन सबकी चिंता की ओर ध्यान दे, क्योंकि हम 50 हजार रुपये में किसी को चाय भी नहीं पिला सकते। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा मत बोलिये। आप उलाहना मत दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने : हमारे आफिस में अगर मिलने वाले लोगों का अगर खर्चा निकालें तो वह भी 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। आदित्यनाथ जी ने जो सुझाव दिया है, उसका पालन किया जाए। मीडिया की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मीडिया वाले कब क्या बोलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं मीडिया वालों को देखना चाहिए।

मैं दूसरी बात आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सांसद जब हाउस या कमेटी खत्म होने के बाद अपनी कांस्टीटुएंसी में जाते हैं, जैसे हम नागपुर जाते हैं, अगर वाया मुम्बई जाते हैं तो मुम्बई तक ही किराया 48,000 रुपए होता है। कमेटी के अफसर कहते हैं कि आपका नागपुर-दिल्ली का किराया 24,000 रुपए है। यूजअल प्लेस आफ रेजिडेंस एमपीज़ का होता है, सभी सांसदों को काम करने के लिए स्टेट की राजधानी में जाना ही पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि यूजअल प्लेस आफ रेजिडेंस के साथ कैपिटल को जोड़ा जाए, आइदर ऑर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष:

श्री श्रीरंग अप्पा बारणे,

श्री पी.पी. चौधरी,

श्री राहुल रमेश शेवाले,

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।